म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर
(म.प्र. शासन का उपक्रम)
उर्जा भवन, जी.पी.एच. कंपाउंड, पोलोग्राउंड, इंदौर (म.प्र)
संपर्क : 0731-2426354 इ-मेल : addlsecwz@gmail.com
फैक्स न.: 0731-2423300

क्र.प्रनि/पक्षे/01/मा.सं/डी.एस/ल.परि.-2018/12512 इंदौर,दिनांक :21-06-2018

लाईन परिचारक (वितरण) बैच-2018 के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु विस्तृत विज्ञप्ति

मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड जो मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल की एक उत्तरवर्ती कम्पनी है मध्य प्रदेश राज्य के मूल निवासी, योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवारों से नियमित आधार पर लाईन परिचारक (वितरण) के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित करती हैं ।

लाईन परिचारक (वितरण) (चतुर्थ श्रेणी) के 361 (नियमित) पदों हेतु पश्चिम क्षेत्र कम्पनी में वर्गवार /श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या निम्नानुसार है |

लाईन परिचारक (वितरण) की संभावित रिक्तियाँ (बैक लॉग सहित) निम्नानुसार हैः-

क्रं.	विवरण	संभावित पदो की संख्या				कुल पद	निःशक्तजनों हेतु क्षेतिज रूप से आरक्षित पद
		अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा	अ.पि.व.		
1	भर्ती हेतु कुल विज्ञापित पद	183	59	74	45	361	अस्थिबाधित श्रेणी हेतु कुल 21 पद
2	लाइन परिचारक (संविदा) कार्मिको हेतु क्षेतिज रूप से आरक्षित पद *	73	24	30	18	145	
3	भूतपूर्व सैनिकों हेतु क्षेतिज रूप से आरक्षित पद	37	12	15	9	73	

* पूर्ववर्ती म.प्र.रा.वि.मं. की उत्तरवर्ती कंपनियों में लाइन परिचारक (संविदा) के पद पर 04 वर्ष अथवा अधिक अवधि से कार्यरत कार्मिको हेतु क्षेतिज रूप से आरक्षित पद |

टीपः- (1) पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है या स्थगित/निरस्त भी किया जा सकता है |

(2) भूतपूर्व सैनिक के पद हेतु अभ्यर्थी नही मिलने पर उक्त पदों को अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरा जावेगा |

(3) उपरोक्त 361 पदों में 21 पद अस्थिबाधित निःशक्तजनों हेतु आरक्षित है। उक्त निःशक्तजनों हेतु आरक्षित पद बिना किसी श्रेणी के है, इस कारण अभ्यर्थियों के चयनित होने पर श्रेणीवार पद भरे जावेगे |

उक्त चयन प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से की जायेगी । पर्याप्त आवेदन पत्र प्राप्त न होने की दशा में कुल पदों को कम / ज्यादा करने, सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया को संशोधित करने, लंबित रखने तथा निरस्त करने का अधिकार कंपनी के पास सुरक्षित रहेगा ।

1. <u>न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य योग्यता :</u>

1.1 दसवीं परीक्षा उत्तीर्ण ।

1.2 केन्द्र या राज्य शासन (NCVT/SCVT) से मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/ संस्था से आई.टी.आई. (विद्युतकार/ लाईनमेन/वायरमेन) परीक्षा उत्तीर्ण (अप्रेंटिस प्रशिक्षण अवधि को छोड़कर) (आई.टी.आई. में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत स्थापित इलेक्ट्रीकल सेक्टर से शहडोल, रतलाम, रामपुरा एवं नर्मदानगर आई.टी.आई.से दो वर्षीय पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन के पात्र होंगे)

अथवा

म.प्र. अनुज्ञापन मण्डल (विद्युत) म.प्र. शासन/म.प्र. की विद्युत् वितरण कंपनियों द्वारा जारी तार मिस्त्री (ओवरहेड अधिष्ठापन कार्य में) प्रमाण पत्र |

1.3 विभागीय संविदा उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए - म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. इंदौर संविदा सेवा (अनुबंध तथा सेवा की शर्तें) संशोधित नियम-2018 के जारी होने के समय अर्थात दि.31.03.2018 को म.प्र.पॉवर मैनेजमेंट कं.लि., जबलपुर, म.प्र.पॉवर ट्रांसमिशन कं.लि., जबलपुर, म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कं.लि.जबलपुर, म.प्र.मध्य क्षेत्र विद्युत् वितरण कं.लि. भोपाल एवं म.प्र.पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कं.लि. इंदौर में लाइन परिचारक (संविदा) के पद पर कार्यरत कार्मिकों, जिन्होंने इन कंपनियों में न्यूनतम 4 साल की अनुबंध सेवा पूरी की है एवं उपरोक्त बिंदु क्र.1.1 तथा 1.2 में में अंकित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता धारण करते हो |

1.4 पात्रता : केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए |

2. <u>आयु सीमा :</u>

2.1 म.प्र. शासन (GAD) के परिपत्र क्र.3-8/2016/3-I दिनांक 12-05-2017 के अनुसार न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा की गणना कैलेंडर वर्ष में 01 जनवरी से की जावेगी |

2.2 न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष एवं विभिन्न श्रेणीवार अधिकतम आयु सीमा निम्नानुसार रहेगी:-

स.क्र.	आवेदक श्रेणी	म.प्र. के मूल निवासी हेतु अधिकतम आयु सीमा (वर्ष)
1	पुरुष (अनारक्षित वर्ग)	40
2	महिला (अनारक्षित वर्ग)	45
3	पुरुष/महिला (शासकीय/निगम/मंडल/स्वसायी संस्थान एवं होम गार्ड कर्मचारी)	45
4	पुरुष/महिला (आरक्षित वर्ग-अ.जा/ अ.ज.जा/अ.पि.व.)	45
5	पुरुष/महिला (आरक्षित वर्ग-शासकीय/निगम/मंडल/स्वसायी संस्थान एवं होम गार्ड कर्मचारी)	45
6	निःशक्त जन	45
7	भूतपूर्व सैनिक	45

2.3 पूर्ववर्ती म.प्र.रा.वि.मं. की उत्तरवर्ती कंपनियों में नियमित आधार पर कार्यरत कर्मचारियों को आयु सीमा में सेवाकाल के बराबर लेकिन अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट प्रदान की जावेगी | पूर्ववर्ती म.प्र.रा.वि.मं. की उत्तरवर्ती कंपनियों में कार्यरत लाइन परिचारक (संविदा) कर्मचारियों को आयु सीमा में म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. संविदा सेवा (अनुबंध तथा सेवा की शर्तें) संशोधित नियम 2018 में निहित प्रावधानों के अनुसार संबंधित पद पर सेवाकाल के बराबर लेकिन अधिकतम 7 वर्ष तक की छूट प्रदान की जावेगी ।

2.4 पूर्ववर्ती म.प्र.रा.वि.मं. की उत्तरवर्ती कंपनियों में मीटर वाचक योजना के अंतर्गत अनुबंध के आधार पर कार्यरत ऐसे मीटर वाचक जो वांछित शैक्षणिक अर्हता पूर्ण करते हो एवं उन्हें पांच वर्ष या अधिक का अनुभव है उनकी अधिकतम आयुसीमा 45 वर्ष के अध्याधीन होगी | आवेदक को कार्यानुभव के सापेक्ष संबंधित कार्यपालन अभियंता द्वारा जारी प्रमाण पत्र मूलतः प्रस्तुत करना होगा | ऐसे उम्मीदवार जिनका कार्य संतोषजनक न पाए जाने के कारण ठेका निरस्त किया गया हो, को छूट की पात्रता नही होगी |

3. <u>आरक्षण :</u>

3.1 म.प्र. के मूल निवासी अ.जा/अ.ज.जा/अ.पि.व. (नॉन क्रीमी लेयर) के आवेदकों हेतु म.प्र. शासन द्वारा निर्धारित रोस्टर के अनुसार पद आरक्षित रहेंगे |

3.2 केवल अस्थिबाधित निःशक्तजन वर्ग (पीडब्लूडी) (40% या उससे अधिक की विकलांगता) के उम्मीदवारों के लिए म.प्र. शासन की अधिसूचना क्रमांक 26 दिनांक 19.01.2015 के अनुसार पद चिन्हित किये जावेंगे |

3.3. अ.जा/अ.ज.जा/अ.पि.व.(नॉन क्रीमी लेयर) और निःशक्त जन (पीडब्ल्यूडी) के लिए पदों का आरक्षण केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी उम्मीदवारों के लिए लागू होगा |

3.4 म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के राजपत्र क्र.299 दिनांक 31 मई 2018 के प्रवधानुसार सहारिया/ सहरिया/ भारिया/ बैगा आदिम जनजाति के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अर्हता पूर्ण करने पर एवं निर्धारित आयु सीमा में होने पर, भर्ती से संबंधित प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना उक्त पद पर नियुक्त किया जावेगा । इस हेतु अभ्यर्थी को ऑन लाईन आवेदन पत्र की प्रति कंपनी के इन्दौर स्थित कार्यालय "कार्या.-प्रबंध निदेशक, उर्जा भवन, कार्पोरेट कार्यालय, जी.पी.एच.परिसर, पोलोग्राउण्ड इन्दौर पिन-452003" में ऑनलाइन परीक्षा दिनांक तक प्रस्तुत करना अनिवार्य है |

3.5 मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पत्र क्र.सी 3-8/2015/एक-3, भोपाल, दि.15 जून 2017 के माध्यम से म.प्र.पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लि. इंदौर को लाइन परिचारक के पदों की सीधी भर्ती हेतु महिला आरक्षण से छूट प्रदान की गयी है |

3.6 भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों को म.प्र.शासन के नियमों के अनुसार आरक्षण दिया जाएगा | शासन के नियमानुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिये वर्ष 2018-19 हेतु स्वीकृत पदों में 20 प्रतिशत आरक्षण "हारिजान्टल एवं कम्पार्टमेंट वाईज" है । इन पदों हेतु योग्य उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर इनके लिये आरक्षित पद केरीफारवर्ड नही होंगे । ऐसी स्थिति में यह पद उसी श्रेणी के अन्य उपलब्ध योग्य उम्मीदवारों से भरे जा सकेंगे। यदि चयनसूची में पहले से ही 20% भूतपूर्व सैनिक मैरीट के आधार पर उपलब्ध होगे तो पृथक से आरक्षण और नही दिया जायेगा|

3.7 म.प्र.राज्य के भूतपूर्व सैनिक के लिये आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को जिला सैनिक कल्याण बोर्ड से सेवा के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जिसमें स्पष्ट हो कि सेवाकाल के दौरान इन्हें गंभीर दण्ड से दंडित नही किया गया है। दंडित भूतपूर्व सैनिक लाईन परिचारक (वितरण) के पद पर भर्ती के पात्र नही होगें ।

3.8 म.प्र.शासन, सा.प्र.वि. के परिपत्र क्र. एफ 7-47 / 2016 / आ.प्र / एक दिनांक 01.01.2018 अनुसार धीवर, कहार, भोई, केवट, मल्लाह, निषाद जाति के उम्मीदवारों को प्रभावी दि.11.11.2005 से अनुसूचित जनजाति वर्ग के अंतर्गत आरक्षण नहीं दिया जाएगा |

3.9 "म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. संविदा सेवा (अनुबंध तथा सेवा की शर्तें) संशोधित नियम-2018" के अनुसार पूर्ववर्ती म.प्र.रा.वि.मं. की उत्तरवर्ती कंपनियों में संविदा आधार पर चार वर्ष एवं उससे अधिक अवधि से कार्यरत उम्मीदवारों को 40% आरक्षण दिया जाएगा | इन पदों हेतु योग्य उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर इनके लिये आरक्षित पद केरीफारवर्ड नही होगे | ऐसी स्थिति में यह पद उसी श्रेणी के अन्य उपलब्ध योग्य उम्मीदवारों से भरे जा सकेंगे। यदि चयनसूची में पहले से ही 40% संविदा कार्मिक मैरीट के आधार पर उपलब्ध होगे तो पृथक से आरक्षण

और नही दिया जायेगा | इस आरक्षण का लाभ लेने के लिए पात्र उम्मीदवारों को कार्यपालन यंत्री/उप महानिदेशक अथवा उच्च अधिकारी द्वारा जारी किया गया अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा |

3.10 उक्त सभी आरक्षण केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी उम्मीदवारों के लिए लागू होंगे |

4. <u>आवेदन करने की विधी :</u>

4.1 आवेदन केवल एम.पी.ऑनलाइन (www.mponline.gov.in) के माध्यम से प्राप्त होंगे। एम.पी. ऑनलाइन वेबसाइट की लिंक कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई जाएगी ।

4.2 आवेदक द्वारा निम्नांकित दस्तवेजो की स्वप्रमाणित स्कैन्ड प्रति अपलोड की जावेगी :

I. जन्मतिथि के सत्यापन हेतु हाई स्कूल अंकसूची |

II. केन्द्र या राज्य शासन (NCVT/SCVT) से मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/संस्था से उत्तीर्ण आई.टी.आई (विद्युतकार/लाइनमैन/ वायरमैन) की अंकसूची एवं प्रमाण पत्र |

III. पूर्ववर्ती म.प्र.रा.वि.मं. की उत्तरवर्ती कंपनियों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों हेतु कार्यपालन यंत्री अथवा उच्च अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र |

IV. स्थायी जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित वर्ग के आवेदक हेतु), जो कि म.प्र.शासन, सा.प्र.वि. के परिपत्र क्र.F 7-2/92/आ.प्र/एक दि.01-08-96 एवं उत्तरवर्ती संशोधन (यदि हो तो) के अनुसार उप मंडल अधिकारी (SDO) द्वारा जारी किया गया हो |

V. म.प्र. मूल निवासी प्रमाण पत्र |

VI. निःशक्तजन आवेदकों हेतु जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी निःशक्तता प्रमाण पत्र (40% अथवा अधिक) |

VII. भूतपूर्व सैनिकों हेतु जिला सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा जारी सेवा संबंधी प्रमाणपत्र |

5. <u>आवेदन शुल्क एवं अन्य शुल्क:</u>

5.1 म.प्र. के मूल निवासी अनारक्षित वर्ग के आवेदकों हेतु आवेदन शुल्क रु.1000/- रहेगा | म.प्र. के मूल निवासी अ.जा/अ.ज.जा/अ.पि.व.(नॉन क्रीमी लेयर)/निःशक्तजन/भूतपूर्व सैनिक आवेदकों के लिए आवेदन शुल्क रु.800/- प्रति आवेदन रहेगा |

5.2 आवेदन एम.पी.ऑनलाइन किओस्क के माध्यम से नगद भुगतान कर के भी किया जा सकता है |

5.3 आवेदकों को आवेदन में सुधार हेतु, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के पहले पोर्टल शुल्क रु.60/- का भुगतान करने पर एक अवसर प्रदान किया जावेगा |

6. <u>चयन प्रक्रिया</u> :

6.1 ऑनलाइन आवेदन एम.पी.ऑनलाइन के माध्यम से आमंत्रित किया जाएगा | विज्ञापन के अनुसार आवेदन फॉर्म प्रारंभ दिनांक से एक महीने की अवधि के लिए लाइव होगा |

6.2 ऑनलाइन परीक्षा किसी प्रतिष्ठित बाह्य संस्था के माध्यम से कंपनी मुख्यालय इंदौर अथवा अन्य मुख्य बड़े शहर जैसे भोपाल, जबलपुर आदि में विभिन्न टेस्ट सेंटरों पर प्राप्त आवेदनों की संख्या अनुसार आयोजित की जावेगी |

6.3 ऑनलाइन परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र एमपीऑनलाइन की वेबसाइट पर उपलब्ध कराये जावेंगे | आवेदकों से अनुरोध है कि वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर एक प्रति ऑनलाइन परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु परीक्षा सेंटर पर प्रस्तुत करें |

6.4 ऑनलाइन परीक्षा हिंदी भाषा में दो घंटे की अवधि की होगी | परीक्षा में 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे (प्रति प्रश्न 3 अंक), जिसमे से 75 प्रश्न 10 वीं कक्षा एवं आई.टी.आई. (इलेक्ट्रीशियन/ वायरमेन / लाईन मेन) तथा 25 प्रश्न सामान्य ज्ञान के होंगे | गलत उत्तर हेतु नेगेटिव मार्किंग नही की जावेगी | ऑनलाइन परीक्षा में प्राप्त अंको की वरीयता के आधार पर चयन किया जावेगा |

6.5 अनारक्षित वर्ग के आवेदकों हेतु कटऑफ 40% रहेगा एवं अ.जा/ अ.ज.जा/अ.पि.व.(नॉन क्रीमी लेयर)/निःशक्त जन/भूतपूर्व सैनिक के आवेदकों हेतु कटऑफ 30% रहेगा |

6.6 आवेदकों द्वारा उन्हें एमपीऑनलाइन की वेबसाइट पर उपलब्ध करायी गयी विंडो पर आवश्यक जानकारी दर्ज कर ऑनलाइन परीक्षा का स्कोर कार्ड डाउनलोड किया जा सकेगा |

6.7 उत्तर कुंजी एवं आपत्ति आमंत्रण: ऑनलाइन परीक्षा की उत्तर कुंजी विज्ञापन में दर्शायी गयी निर्धारित दिनांक को एमपीऑनलाइन की वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जावेगी | उत्तर कुंजी के जारी होने से 03 दिवस तक आवेदक द्वारा निर्धारित राशि जमा की जाकर आपत्ति दर्ज करायी जा सकेगी |

6.8 ऑनलाइन परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर सर्वप्रथम सम्पूर्ण वरीयता सूची तैयार की जावेगी | जिसमे से अनारक्षित पदों की वरीयता सूची तैयार करने के उपरांत आरक्षित पदों की वरीयता सूची तैयार की जावेगी |

6.9 ऑनलाइन परीक्षा में दो या दो से अधिक अवेदकों के प्राप्तांको के सामान होने पर वरीयता का निर्धारण निम्नानुसार किया जावेगा :

(i) जन्मतिथि के अनुसार अधिक आयु वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जावेगी |

(ii) समान जन्मतिथि होने पर अर्हकारी परीक्षा (आई.टी.आई) में अधिक अंक वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जावेगी |

(iii) एक या एक से अधिक आवेदकों के उपरोक्त दोनों शर्तों के समान होने पर कक्षा 10वीं में अधिक अंक वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जावेगी |

6.10 शारीरिक दक्षता हेतु चयनः शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु चयनित उम्मीदवारों की सूची कंपनी की वेबसाईट पर प्रकाशित की जायेगी |

6.11 शारीरिक दक्षता परीक्षाः ऑनलाईन परीक्षा एवं शैक्षणिक योग्यता के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को पहले शारीरिक दक्षता परीक्षण में निम्न परीक्षण उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगाः

(i) निम्नदाब लाईन के खम्बे पर सीढ़ी की सहायता से 15 किलो ग्राम वजन लेकर 2 मिनिट में चढ़ना एवं उतरना |

(ii) टूल-किट एवं रस्सी झूला लेकर 10 मिनिट में 01 किलो मीटर पैदल चलना |

(iii) उपरोक्त दोनों उपखण्ड (अ) एवं (ब) में उल्लेखित शारीरिक दक्षता उतीर्ण करना आवश्यक है|

(iv) एक बार में शारीरिक दक्षता परीक्षा उतीर्ण न करने पर पुनः अवसर प्रदान नही किया जावेगा|

6.12 निःशक्तजन अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट होगी ।

6.13 ऑनलाइन परीक्षा में प्राप्त अंकों एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के आधार पर चयन किया जावेगा |

6.14 विभागीय आवेदकों एवं नवीन/बाह्य आवेदकों हेतु निर्धारित पदों के अनुसार पृथक-पृथक वरीयता सूची तैयार की जावेगी |

6.15 मेरिट लिस्ट परिणाम घोषित होने की तारीख से एक वर्ष के लिए वैध होगी । प्रतीक्षा सूची कंपनी की आवश्यकता के अनुसार तैयार की जाएगी । हालांकि, एक वर्ष से पहले भी विशिष्ट आदेश जारी करके भर्ती प्रक्रिया को प्रतीक्षा सूची के संचालन के लिए बंद किया जा सकता है। प्रक्रिया को बंद करने के विशिष्ट आदेश जारी करने के बाद किसी भी उम्मीदवार के दावे पर विचार नहीं किया जाएगा |

6.16 पूर्ववर्ती म.प्र.रा.वि.मं. की उत्तरवर्ती कंपनियों में मीटर वाचक योजना के अंतर्गत अनुबंध के आधार पर कार्यरत ऐसे मीटर वाचक जिन्होंने 3 वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर मीटर रीडिंग का कार्य किया हो एवं वांछित शैक्षणिक अर्हता पूर्ण करते हो, उन्हें 10 प्रतिशत बोनस अंक दिए जायेंगे | ऐसे उम्मीदवार जिनका कार्य संतोषजनक न पाए जाने के कारण ठेका निरस्त किया गया हो, को छूट की पात्रता नही होगी | आवेदक को कार्यानुभव के सापेक्ष संबंधित कार्यपालन अभियंता द्वारा जारी प्रमाण पत्र मूलतः प्रस्तुत करना होगा |

7. <u>यात्रा भत्ता प्रतिपूर्ति :</u>

अ.जा/अ.ज.जा/अ.पि.व.(नॉन क्रीमी लेयर) के आवेदकों को यात्रा भत्ता प्रतिपूर्ति म.प्र.शासन, वित्त विभाग के परिपत्र दि.13-09-13 अनुसार एवं निःशक्त जन आवेदकों को यात्रा भत्ता प्रतिपूर्ति म.प्र.शासन, सा.प्र.वि. के परिपत्र दि.22-11-05 अनुसार, एकल किराया राशि देय होगी |

8. चयन एवं नियुक्ति :

8.1 वरीयता के आधार पर, चयनित उम्मीदवारों की अस्थायी सूची कंपनी वेबसाइट पर प्रकाशित की जावेगी एवं उन्हें दस्तावेजों के सत्यापन एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु बुलाया जावेगा | दस्तावेजों के सफल सत्यापन एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत उम्मीदवार को नियमित आधार पर लाइन परिचारक (वितरण) बैच-2018 (प्रशिक्षु) के पद पर नियुक्ति प्रदान की जावेगी |

8.2 कार्य की प्रकृति : लाईन परिचारक (वितरण) की नियुक्ति पर उम्मीदवार को विद्युत वितरण से संबंधित कार्य, विद्युत लाईन के निर्माण कार्य जिसमें गड्डा खोदने, सामान की ढुलाई एवं लाईन तैयार करनें एवं उपकेन्द्र के निर्माण से संबंधित सभी श्रम साध्य कार्य एवं समय-समय पर आवश्यकतानुसार आवंटित अन्य कार्य करना होंगे ।

9. <u>पात्रता के संबंध में सामान्य शर्तें :</u>

9.1 उम्मीदवार मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए |

9.2 पात्रता मापदंड, शिक्षा एवं आयु को पूर्ण करने वाले शासकीय/अर्ध शासकीय/सार्वजनिक क्षेत्र संगठनों में कार्यरत उम्मीदवारों को उचित चैनल के माध्यम से आवेदन करना होगा अन्यथा उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा | शारीरिक दक्षता परीक्षण के समय ऐसे अभ्यर्थी को नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, अन्यथा शारीरिक दक्षता परीक्षण में शामिल होने की अनुमति नही होगी |

9.3 ऐसे उम्मीदवार जिनके तृतीय या उसके बाद के बच्चे का जन्म दिनांक 26.01.2001 अथवा उसके बाद हुआ है, चयन प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र नही होगे, जब तक कि पहले बच्चे के बाद जुड़वा पैदा हुए हों |

9.4 चयन के समय अथवा भविष्य में यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा अपने दस्तावेज अंकसूची इत्यादि कूटरचित/फर्जी/बनावटी प्रस्तुत किये है अथवा उसका चयन गलत जानकारी के आधार पर हुआ है तो उसको तत्काल सेवा/अनुबंध से न केवल पृथक किया जाएगा वरन् उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जावेगी |

9.5 उम्मीदवार का चयन होने पर कार्यग्रहण करने से पहले जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है |

9.6 ऐसे आवेदक जिन्हें म.प्र.राज्य की किसी भी विद्युत वितरण कंपनी द्वारा पदच्युत (DISMISS) किया गया हो, को आवेदन की पात्रता नही होगी |

9.7 ऐसे उम्मीदवार जो विवाहित होने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पहले शादी कर चुके हैं, म.प्र. शासन के राजपत्र पर प्रकाशित अधिसूचना दि.10.03.2000 के अनुसार आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं |

9.8 म.प्र.शासन, सा.प्र.वि. के आदेश क्र.3-17-96-3-II भोपाल दिनांक 25.10.96 में निहित प्रावधान भी लागू होंगे |

9.9 उच्च योग्यता/अनुभव के आधार पर उच्च पद में नियुक्ति के लिए कोई दावा मान्य नहीं किया जाएगा |

10. <u>प्रशिक्षण :</u>

10.1 प्रशिक्षण अवधि-06 माह (1 माह का संस्थागत प्रशिक्षण व 5माह का ऑन द जॉब प्रशिक्षण)|

10.2 अंकों का आवंटन : (06 माह की प्रशिक्षण अवधि में)

संस्थागत प्रशिक्षण- 40 अंक
ऑन द जॉब प्रशिक्षण- 100 अंक
अंतिम लिखित परीक्षा- 40 अंक
अंतिम साक्षात्कार- 20 अंक

10.3 सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने हेतु न्यूनतम अंक :

I. अनारक्षित श्रेणी हेतु -60% एवं अ.जा/अ.ज.जा/अ.पि.व(नॉन क्रीमी लेयर)/निःशक्त जन (पीडब्ल्यूडी)/भूतपूर्व सैनिक हेतु 50% |

II. प्रत्येक प्रशिक्षु को प्रशिक्षण के प्रत्येक मॉड्यूल में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा |

10.4 प्रशिक्षण का विस्तार - यदि उम्मीदवार को न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं होते हैं तो उसका प्रशिक्षण तीन महीने तक बढ़ाया जाएगा (अधिकतम दो बार केवल)। यदि विस्तार के बाद भी प्रशिक्षु सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने में विफल रहता है तो उसकी चयनित पद के लिए उसकी उम्मीदवारी को विशिष्ट तर्क-आदेश द्वारा रद्द कर दिया जाएगा |

10.5 वरीयतासूची में वरिष्ठता - सफल उम्मीदवार को नियमितकरण उपरांत चयन प्रक्रिया मापदंड (60% वेटेज) और प्रशिक्षण (40% वेटेज) में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर अंतिम वरीयतासूची में सापेक्ष स्थिति प्रदान की जाएगी |

I. यदि प्रशिक्षण अवधि प्रशिक्षण में असफल रहने के कारणों से बढाई गयी है और उसके बाद विस्तारित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण हो गया है तो उम्मीदवार को चयनित बैच में वरीयतासूची में नीचे रखा जाएगा | विस्तारित प्रशिक्षण अवधि की गणना किसी भी सेवा लाभ हेतु नही की जावेगी |

II. यदि एक से अधिक प्रशिक्षुओं के प्राप्तांक समान हैं तो वरीयतासूची में वरिष्ठता का निर्धारण जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा अर्थात प्रशिक्षु जिसकी जन्म तिथि पहले की है वह वरिष्ठ होगा |

III. उपरोक्तानुसार वरीयतासूची बनायीं जाकर उचित समय पर प्रकाशित की जावेगी |

10.6 अनुबंध सेवा (अनुबंध और सेवा की शर्तों) संशोधित नियम– 2018 की कंडिका 9.6 के अनुसार विभागीय संविदा उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पद के तहत चयनित उम्मीदवारों के ऑनलाइन परीक्षा में प्राप्त अंकों में 1% प्रति वर्ष अनुभव वेटेज (अधिकतम 5%) जोड़कर वरीयतासूची को तैयार किया जाएगा |

10.7 प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुवृत्तिः प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रशिक्षु को मप्र.शासन के नोटिफिकेशन दिनांक 20.07.2017 के अनुसार वेतन मेट्रिक्स के लेवल 04 के प्रारंभिक वेतन के बराबर प्रशिक्षु भत्ता दिया जाएगा |

11. <u>सेवा सह जमानत अनुबंध :</u>

11.1 बांड की वैधता - प्रशिक्षण अवधि (विस्तारित प्रशिक्षण अवधि को छोड़कर) सहित तीन वर्ष की अवधि के लिए 500 रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर बॉन्ड |

11.2 बॉन्ड की वैधता अवधि के दौरान त्यागपत्र के मामले में उम्मीदवारों से बांड की वसूली - सेवा अनुबंध सह जमानत बांड की राशि रु.100,000/- (अनारक्षित उम्मीदवार के लिए रु.एक लाख मात्र) और रु.50,000/- (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अ.पि.व.(नॉन क्रीमी लेयर)/ निःशक्तजन/भूतपूर्व सैनिक/विधवा के लिए रु.पचास हजार) उम्मीदवार द्वारा देय होगा | इसके अतिरिक्त प्रकरण अनुसार बिंदु क्र.12 अनुसार नोटिस अवधि राशि देय होगी |

11.3 किसी भी उम्मीदवार के पूर्ववर्ती म.प्र.रा.वि.मं. की उत्तरवर्ती कंपनियों में समान या उच्च पद पर चयन होने पर सेवा अनुबंध सह श्योरिटी बॉण्ड की देनदारियों से छूट दी जाएगी जिसमें नोटिस अवधि शामिल है, यानी सेवा अनुबंध सह श्योरिटी बॉन्ड शेष अवधि के लिए संबंधित कंपनी को स्थानांतरित कर दिया जायेगा |

12. <u>नोटिस की अवधि :</u>

प्रशिक्षण के दौरान और नियमित सेवा अवधि के दौरान, कंपनी अथवा कार्मिक एक महीने का नोटिस या नोटिस के बदले एक महीने का वेतनमान/वेतन (जो भी लागू हो) देकर बिना किसी उल्लेखित कारण एवं शर्त के सेवाओं को समाप्त कर सकतें है | लाईन परिचारक (वितरण) प्रशिक्षु अथवा नियमित यदि बांड अवधि के दौरान सेवाएं समाप्त करता है तो वह लागू बॉन्ड राशि का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा |

13. <u>प्रशिक्षण अवधि के दौरान अवकाश:-</u>

13.1 प्रशिक्षण की अवधि के दौरान, प्रशिक्षु को 07 आकस्मिक, 01 ऐच्छिक एवं 07 चिकित्सा अवकाश की पात्रता होगी यदि चिकित्सा अवकाश की अवधि 3 दिन से अधिक है, तो चिकित्सा प्रमाण पत्र आवश्यक है। अत्यावश्यकता होने पर नियुक्तिकर्ता अधिकारी के

अनुमोदन से अधिकतम 10 दिन के विशेष अवकाश की पात्रता होगी । इसके उपरांत प्रशिक्षुवृत्ति से अवैतनिक अवकाश के रुप में कटौती की जावेगी तथा प्रशिक्षण अवधि में विस्तार किया जावेगा।

13.2 यदि प्रशिक्षु दस दिनों से अधिक के लिए प्रशिक्षण से बिना सूचना के अनुपस्थित रहता है, तो उसे सेवा समाप्ति की सूचना दी जाएगी। क्षेत्रीय मुख्य अभियंता द्वारा उक्त अनाधिकृत अनुपस्थिति हेतु अंतिम नोटिस के माध्यम से उम्मीदवारी को रद्द किया जावेगा |

14. परिवीक्षा काल :

प्रशिक्षण अवधि के सफल समापन उपरांत उम्मीदवार को नियमित कैडर में नियुक्त किया जाएगा जो दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होगा, जिसके दौरान उसके प्रदर्शन पर निगरानी रखी जावेगी एवं इस अवधि को कंपनी के विवेक पर अधिकतम एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है | विस्तारित परिवीक्षा काल में भी प्रदर्शन संतोषजनक नही होने पर उम्मीदवार की सेवा समाप्त की जावेगी |

15. प्रशिक्षण अवधि के दौरान कर्तव्य एवं दायित्व :

प्रशिक्षण अवधि के दौरान, उम्मीदवार को नियमित रिक्त पद पर पदस्थ नहीं किया जाएगा । पखवाड़े के पूरा होने पर प्रशिक्षु द्वारा प्रशिक्षण अवधि में प्राप्त/अर्जित ज्ञान दर्शाते हुए निर्धारित प्रारूप में एक पाक्षिक रिपोर्ट तत्काल नियंत्रक अधिकारी को जमा की जावेगी, जो इसे वर्गीकृत कर अंतिम मूल्यांकन हेतु क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक/मुख्य अभियंता को प्रेषित करेंगे |

16. अनुशासन एवं नियंत्रण के संबंध में नियम एवं विनियम :

यदि प्रशिक्षु प्रशिक्षण अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के दुराचरण, अवैधानिक एवं अवांछित गतिविधियों, धोखाधडी, अनुशसनहीनता आदि गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है तो उसे सक्षम अधिकारी द्वारा निम्नानुसार दंडित किया जावेगा |

16.1 लघु दुराचरण शास्ति :

(अ) 01 माह के मानदेय तक का दंड |

(ब) प्रशिक्षु के कारण होने वाली हानियों और ऐसे हानियों की वसूली उपरोक्त "सक्षम प्राधिकारी" द्वारा निर्धारित की जाएगी जो अंतिम और प्रशिक्षु पर बाध्यकारी होगी |

और/अथवा

(अ) प्रशिक्षु को दी जाने वाली चेतावनी, प्रशिक्षण अवधि के विस्तार/समाप्ति हेतु प्रशिक्षु के रेकार्ड में अंकित की जावेगी |

(ब) ये शास्तियां एक साथ या अलग अलग अधिरोपित की जा सकती है |

16.2 दीर्घ शास्ति :

प्रशिक्षु की सेवा समाप्ति के अलावा बांड राशि जैसे दायित्वों की वसूली हेतु विधिक कार्यवाही |

17. <u>वेतन एवं भत्ते :</u>

सफलतापूर्वक प्रशिक्षण अवधि पूर्ण करने के पश्चात कार्मिक का वेतन मप्र.शासन के नोटिफिकेशन दिनांक 20.07.2017 के वेतन मेट्रिक्स के लेवल 04 (19500-62000) पर म.प्र.शासन, उर्जा विभाग के पत्र दि.05-04-2018 अनुसार निर्धारित किया जावेगा |

18. <u>वार्षिक वेतनवृद्धि :</u>

वेतन वृद्धि म.प्र.शासन के आदेश क्र. F.8-1/2016/Rule/IV दिनांक 20.07.2017 के द्वारा 7वें वेतनमान हेतु जारी निर्देशों के अनुरूप होगी अर्थात नियुक्ति दिनांक के अनुसार 1 जनवरी एवं 1 जुलाई | प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि हेतु अवधि की गणना में सम्मिलित नहीं किया जावेगा |

19. <u>सामूहिक बीमा :</u>

लाइन परिचारक (वितरण) प्रशिक्षु के पद पर नियुक्त कार्मिक को सामुहिक बीमा योजना के तहत बीमित किया जावेगा एवं प्रिमियम राशि कंपनी नियमों के अनुसार कार्मिक के स्टायपेंड/ वेतन से काटी जावेगी|

20. <u>नवीन पेंशन योजना :</u>

लाइन परिचारक (वितरण) प्रशिक्षु के पद पर नियुक्त कार्मिक पर “न्यू पेंशन सिस्टम” लागू होगा |

21. <u>जाति प्रमाण पत्र एवं चरित्र एवं पूर्ववर्ती जानकारी का सत्यापन :</u>

21.1 प्रारंभिक प्रशिक्षण प्रवेश और प्रारंभिक नियुक्ति, कंपनी द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुसार चरित्र और पूर्ववर्ती जानकारी के साथ पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के संतोषजनक सत्यापन के अधीन होगी | अभ्यर्थी की नियुक्ति संतोषजनक चरित्र सत्यापन के अधीन होगी और यदि कोई प्रतिकूल जानकारी प्राप्त होती है तो नियुक्ति को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा | उम्मीदवार को रिपोर्ट करने के समय निर्धारित प्रारूप में राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित चरित्र प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है | संतोषजनक सत्यापन तक, नियुक्ति अस्थायी रहेगी | मध्यप्रदेश शासन के चरित्र सत्यापन संबंधी नए दिशा निर्देशों के अनुसार चरित्र सत्यापन के संबंध में अभ्यर्थी को रूपये 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का स्व-प्रमाणित शपथ पत्र देना आवश्यक है जिसमें यह घोषणा की जावेगी की आपराधिक प्रकरणों के संबंध में उनके द्वारा उसके पूर्ववत के अन्तर्गत दिए गए विवरणों मे उसने किसी तथ्य को इरादतन नहीं छिपाया है |

21.2 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (non creamy layer) श्रेणी के उम्मीदवारों की नियुक्ति के मामले में चरित्र एवं पूर्ववर्ती जानकारी के सत्यापन के अलावा सक्षम प्राधिकारी से जाति के सत्यापन के अधीन होगा । यदि यह पाया जाता है कि

उम्मीदवार/प्रशिक्षु की जाति को मध्यप्रदेश की अनुसूची में आरक्षित वर्ग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है अथवा प्रस्तुत किया गया जाती प्रमाण पत्र नकली/जाली पाया जाता है तो, उम्मीदवार की नियुक्ति को तुरंत रद्द कर दिया जाएगा और गलत सूचना प्रस्तुत करने के लिए उचित कार्रवाई की जाएगी |

21.3 निःशक्तजन उम्मीदवारों के लिए, नियुक्ति म.प्र.शासन, के गजट परिपत्र संख्या एफ 8-3/ 2013/आ.प्र./एक/ दिनांक 17.07.2014 के अनुसार विकलांगता के संतोषजनक सत्यापन के अधीन होगी |

22. यात्रा/दैनिक भत्ता :

प्रशिक्षण अवधि के दौरान, कार्यालयीन कार्य हेतु की गयी यात्रा के लिये प्रशिक्षु अपने पद के अनुसार यात्रा/दैनिक भत्ता के लिए हकदार होगा |

23. नियोजन की विशिष्टता:

कंपनी के कार्यकाल के दौरान लाइन परिचारक (वितरण) को कंपनी की लिखित अनुमति के बिना किसी अन्य रोजगार या वाणिज्यिक प्रकृति के किसी भी बाहरी गतिविधियों में संलग्न होने की अनुमति नहीं दी जाएगी | यदि लाइन परिचारक (वितरण) इस बिंदु के प्रावधानों के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है तो उसकी नियुक्ति को बिना किसी कारण बताए समाप्त कर दिया जावेगा |

24. गोपनीय सूचना :

24.1 लाइन परिचारक (वितरण) सेवाओं के दौरान, उसके द्वारा प्राप्त की गई/उसे सौंपी गयी सभी जानकारी को अत्यंत गोपनीय रखेगा और गोपनीयता का पालन करेगा । वह सेवाओं के दौरान अथवा सेवा समाप्ति के पश्चात भी पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य करेंगा एवं तदाशय की गोपनीयता भंग नही करेगा |

24.2 लाइन परिचारक (वितरण) की कंपनी के प्रति यह वचनबद्धता होगी की :

(i) गोपनीय जानकारी का उपयोग केवल कंपनी में सेवाएं करने के उद्देश्य के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं करेगा |

(ii) किसी गोपनीय सूचना की गोपनीयता को सुरक्षित रखेंगा |

(ii) किसी भी उद्देश्य के पूरा होने पर या संस्था से विलग होने पर गोपनीय जानकारी (इसकी प्रतियों सहित) सभी दस्तावेजों या अन्य सामग्री कंपनी को वापस लौटायेगा |

24.3 इस बिंदु में उल्लेखित गोपनीय जानकारी का मतलब कंपनी के व्यापार, मामलों ,संचालन, संपत्ति, संगठन, लेनदेन एवं उपभोक्ताओं, कर्मचारियों, अधिकारियों और कंपनी के वित्तीय मामलो से संबंधित कोई भी जानकारी (चाहे मौखिक, लिखित, विजुअल आदि, हार्ड या सॉफ्ट

कॉपी) और इसमें रिपोर्ट, सूचना, सलाह और सिफारिश (किसी भी रूप में) किसी भी व्यवहार्यता अध्ययन, मूल्यांकन, रिपोर्ट आदि बिना किसी सीमा के शामिल होगा |

25. <u>पदस्थल एवं स्थानांतरण :</u>

कंपनी आवश्यकतानुसार समय-समय पर प्रशिक्षु/कार्मिक के कार्य/प्रशिक्षण स्थल में बदलाव कर सकती है | इस पद पर नियुक्ति को स्वीकार कर प्रशिक्षु यह स्वीकार करता है की उसे, देश/विदेश में स्थापित/भविष्य में स्थापित होने वाले कंपनी कार्यालयों या सिस्टर कंपनी कार्यालयों या उपभोक्ता के कार्यालय में स्थानांतरित किया जा सकता है | प्रशिक्षु द्वारा इस अनुबंध की स्वीकृति यह इंगित करती है कि प्रशिक्षु कंपनी की व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार स्थानांतरित होने के लिए सहमत हैं । लाइन परिचारक (वितरण) को कंपनी क्षेत्रान्तर्गत किसी भी स्थान पर पदस्थ किया जा सकेगा परन्तु किसी भी अन्य कंपनी में स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण की पात्रता नहीं होगी |

26. <u>दस्तावेज :</u>

चयनित अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के समय निम्नलिखित दस्तावेजो की मूल एवं एक स्वप्रमाणित छायाप्रति लाना अनिवार्य है :

26.1 निम्नांकित मूल दस्तावेज एवं एक सेट सत्यापित छायाप्रति :

(i) जन्मतिथि के प्रमाण एवं शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण हेतु 10वीं बोर्ड परीक्षा अंकसूची |

(ii) शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण हेतु केन्द्र या राज्य शासन (NCVT/SCVT) से मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/संस्था से उत्तीर्ण आई.टी.आई (विद्युतकार/लाइनमैन/वायरमैन) की अंकसूची अथवा म.प्र. अनुज्ञापन मण्डल (विद्युत) म.प्र. शासन/म.प्र. की विद्युत् वितरण कंपनियों द्वारा जारी तार मिस्त्री (ओवरहेड अधिष्ठापन कार्य में) प्रमाण पत्र |

(iii) पूर्ववर्ती म.प्र.रा.वि.मं. की उत्तरवर्ती कंपनियों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों हेतु कार्यपालन यंत्री अथवा उच्च अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र |

(iv) वर्त्तमान नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र , यदि कोई हो |

(v) मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र |

(vi) स्थायी जाती प्रमाण पत्र (आरक्षित वर्ग के आवेदक हेतु), जो कि म.प्र.शासन, सा.प्र.वि. के परिपत्र क्र.F 7-2/92/आ.प्र/एक दि.01-08-96 एवं उत्तरवर्ती संशोधन (यदि हो तो) के अनुसार अनुविभागीय राजस्व/प्रमाणिकरण अधिकारी (SDO) द्वारा जारी किया गया हो |

(vii) नि:शक्तजन अभ्यर्थी के मामले में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी म.प्र. का मूलनिवासी प्रमाण पत्र (जैसा लागू हो) एवं जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी निःशक्तता प्रमाण पत्र (40% अथवा अधिक) |

(viii) अ.पि.व (नॉन क्रीमीलेयर) के उम्मीदवारों को तहसीलदार द्वारा जारी पिछले 03 वर्ष का नवीनतम परिवार आय प्रमाण पत्र/ नान क्रीमीलेयर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा |

(ix) निर्धारित प्रारूप में सेवा सह जमानत अनुबंध पत्र (संलग्न) |

(x) 04 पासपोर्ट साइज वर्तमान फोटो |

(xi) राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित चरित्र प्रमाण पत्र (संलग्न निर्धारित प्रारूप में) |

(xii) बायोडाटा निर्धारित प्रारूप में |

(xiii) अभ्यर्थी एवं ज़मानतदार के स्थाई निवास के पते का प्रमाण |

(xiv) यथासंभव जमानतदार शासकीय सेवक होना चाहिये (इसका प्रमाण आवश्यक है) |

(xv) अभ्यर्थी एवं ज़मानतदार का फोटो आईडी प्रमाण (आधार/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/वोटर आईडी/बैंक पास बुक)

27. <u>क्षेत्राधिकार :</u>

चयन प्रक्रिया के साथ-साथ सेवा मामलों से उत्पन्न होने वाले कोई भी विवाद कंपनी के मुख्यालय में स्थित न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र मे ही मान्य होंगे | कंपनी की सेवा म.प्र.औद्योगिक संबंध अधिनियम के अंतर्गत नही आती है |

28. <u>महत्वपूर्ण दिनांक - चयन प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण दिनांक निम्नानुसार हैः-</u>

क्रं.	विवरण	दिनांक
1	समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	21-06-2018
2	ऑनलाईन आवेदन प्रारंभ होने की दिनांक	22-06-2018
3	ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक	21-07-2018
4	ऑनलाईन परीक्षा की दिनांक	सितंबर'2018 (संभावित)

टीपः अपरिहार्य कारणों से उक्त दिनांकों में फेरबदल संभव है | ऑनलाईन परीक्षा से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तिथियाँ शीघ्र ही एम.पी.ऑन लाईन वेबसाईट www.mponline.gov.in एवं कंपनी वेबसाइट www.mpwz.co.in पर उपलब्ध करायी जावेंगी | अतः आवेदक नियमित रूप से उक्त दोनों वेबसाइट ध्यानपूर्वक देखते रहे |

मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं.एवं प्रशा.)